न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2016-00161RAAJodhpur2016-027LRA75 Farsaram Vs SDO Phalodi etc

फरसाराम पुत्र श्री जीवनराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम मोटाई तहसील फलौदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. उपखण्ड अधिकारी फलौदी
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलौदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 जनवरी 2016 उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पुनरीक्षित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश संख्या 238 दिनांक 13 अगस्त 2015 को निरस्त किया गया।

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 05 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी 2016, जिसके जरिये पूर्व पारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 238 दिनांक 13 अगस्त 2015, को निरस्त कर दिया गया, के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत दिनांक 21 जनवरी 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम आऊ के खसरा नम्बर 353/7, 353. 353/3 व 353/5 353/6 कुल रकबा 15 बीघा जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी। इसी आवासीय कॉलोनी के खण्ड सख्या 35 से 38 क्षेत्रफल 418.27 वर्गमीटर का पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 238 दिनाक 13.08.2015 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अपीलार्थी द्वारा सपरिवर्तित करवाई गई थी। उपरोक्त संपरिवर्तन किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के पश्चात् एक शिकायत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपने आदेश दिनांक 15.01.2016 के द्वारा औद्योगिक संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, फलौदी ने वास्तविक स्थिति की जॉच किये बिना ही तथा सम्बन्धित नियमों की अनदेखी करते हुए विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी पर नोटिस तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण भी अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी को पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप दो वर्ष से पूर्व करने का कानूनी अधिकार नहीं था, उसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा उपरोक्त भू–राजस्व संपरिवर्तन नियमों की अनदेखी करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.11.2015 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेण्ड स्टोन कटिंग व मशीन लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी तथा उसी के तहत नियमानुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया था. जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा एक वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फलौदी जिला जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जो वाद दर्ज किया गया जिसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। शिकायतकर्ताओ का स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 80/2015 अशोकसिंह वगैरह बनाम फरसाराम वगैरा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फलोदी द्वारा अपने आदश दिनाक 21.12.2015 के द्वारा खारिज कर दिया गया। मात्र राजनैतिक दबाव के चलते अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलीच्य आदेश पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी को संपरिवर्तन आदेश के पुनपरीक्षण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा शिकायतकताओं द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किया जा सके।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी 2016 को निरस्त किया जावे एवं संपरिवर्तन आदेश दिनांक 13.08.2015 को बहाल किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा संपरितर्वन आदेश में विहित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत रीको एवं प्रदूषण मण्डल से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये है। अपीलांट द्वारा विहित शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से पूर्व पारित संपरिवर्तन आदेश को खारिज किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित आदेश क्रमांक 238 दिनांक 13.08.2015 पारित करने से पूर्व विहित प्रावधानों के अनुसार भूमि खसरा नं.353/7, 353. 353/3 व 353/5 353/6 का ले आउट प्लान अनुमोदन हेतु चैकलिस्ट, मौका रिपोर्ट, संपरिवर्तन राशि की गणना एवं विभिन्न विभागों की अनापति प्राप्त करने के पश्चात नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक शिकायत के आधार पर अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में नियमानुसार पारित संपरिवर्तन आदेश को बिना किसी विधिक आधार एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत जाकर खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि–विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी 2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर